

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एपीएल/ स्टेट बीपीएल/ बीपीएल/ अन्त्योदय राशन कार्ड में जारी यूनितों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनवाये जाने का आवेदन फॉर्म

1. सामान्य विवरण - '**' चिह्नित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।

राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)*													
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम*													
मुखिया के पिता का नाम							माता का नाम						
मोबाइल नम्बर													
ई-मेल पता													
राशन कार्ड में दर्ज पता	मकान नम्बर / मकान का नाम				मोहल्ला/कॉलोनी/सैंड मार्क /लोकेलिटी								
पंचायत समिति : (केवल ग्रामीण क्षेत्र)	ग्राम पंचायत : (केवल ग्रामीण क्षेत्र)				ग्राम / वार्ड सं. : (ग्रामीण क्षेत्र)				तहसील :				
नगर निगम/नगरपालिका/परिषद: (केवल शहरी क्षेत्र)	नगर निगम / नगर परिषद / परिषद का वार्ड सं. : (केवल शहरी क्षेत्र)				जिला :				पिन नंबर:				

मुखिया का फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित मूल्य दुकान सं नाम दुकानदार का था जो विरूपित हो/गुम/फट गया है। अतः डुप्लीकेट जारी करें। खोये हुए राशन कार्ड की फोटो प्रति/कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड मिलने पर मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा/करूंगी। मैंने राशन कार्ड खोने की सूचना भी सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को दे दी है।
3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता / करती हूँ। कृपया निम्नानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें -

राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में नया पता : ** चिह्नित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।	मकान नम्बर / मकान का नाम	मोहल्ला/कॉलोनी/सैंड मार्क /लोकेलिटी	
पंचायत समिति : (केवल ग्रामीण क्षेत्र)	ग्राम पंचायत : (केवल ग्रामीण क्षेत्र)	ग्राम / वार्ड सं. : (ग्रामीण क्षेत्र)	तहसील :
नगर निगम/नगरपालिका/परिषद: (केवल शहरी क्षेत्र)	नगर निगम / नगर परिषद / परिषद का वार्ड सं. : (केवल शहरी क्षेत्र)	जिला :	पिन नंबर:

बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति / कच्ची बस्ती युक्त सम्पत्ति है / मैं किराये के मकान में निवास करता / करती हूँ। या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन करता / करती हूँ।

4. मैं निम्नांकित नामों को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ -

क्र. सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम यदि विवाहित है तो	लिंग* M/F/ Other	जन्म दिनांक*	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडीUID/ आधार क्रमांक	विकलांग (हाँ/ना)	विधवा/ परित्यक्ता (हाँ/ना)
1										
2										
3										
4										

नोट - '**' चिह्नित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

5. मैं निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ -

क्र. सं.	नाम*	लिंग* M/F/Other	मुखिया से संबंध*	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण-पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
1					
2					
3					
4					

नोट - '**' चिह्नित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

6. राशन कार्ड की विशिष्टियों की दृष्टि में परिवर्धन/संशोधन : उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, आयकरदाता सम्बन्धी प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की विशिष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध में संशोधन कराने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही किया जाये। यदि दृष्टि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। परिवर्धन/संशोधन का संक्षिप्त विवरण –

7. घोषणायें :-

नोट - घोषणा का जो बिन्दु लागू नहीं हो उसे काट दें।

- क. मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांक है। मेरे राशन कार्ड में "मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ" अंकित है जिसके स्थान पर लिखा जाये क्योंकि मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।
- ख. मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं गैस एजेंसी डीबीसी/एसबीसी अंकित है, जिसके स्थान पर गैस कनेक्शन नं गैस एजेंसी डीबीसी/एसबीसी अंकित किया जाये या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है। अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बन्धित प्रविष्टि हटाई जाये।
- ग. मेरा नाम बीपीएल/स्टेट बीपीएल चयन सूची वर्ष क्रमांक वार्ड में / अन्त्योदय सूची वर्ष क्रमांक वार्ड में है, किन्तु मुझे श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया गया है। अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझे श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जाये।
- घ. इस प्रपत्र के बिन्दु 4 में वर्णित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशन कार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया गया है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- ङ. इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।
- च. इस प्रपत्र के बिन्दु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परित्यक्ता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई होने के कारण घटाने हेतु आवेदन किया गया है। श्री/श्रीमती रिश्ते में मेरे/मेरी (मृतक से सम्बन्ध) हैं। इनकी मृत्यु के बाद मैं ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ। इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है। अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।
- छ. इस प्रपत्र के बिन्दु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित विशिष्टि अंकित की गयी है, जिसे मेरे राशन कार्ड में शुद्ध किया जाये।
- ज. मैं और मेरा परिवार राशन कार्ड का उपयोग राशन वस्तुएं प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।
- झ. मुझे पता है कि राशन कार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये जाने पर मेरा राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- ञ. इस प्रपत्र के बिन्दु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक

सत्यापन

इस प्रपत्र के बिंदु 3 में दिए गए मकान के पते पर श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री परिवार सहित अवधि से निवास कर रहे हैं। यह मकान मेरी निजी संपत्ति है।

हस्ताक्षर मकान मालिक

कार्यालय / कियोस्क द्वारा कार्यवाही चेक लिस्ट

क्या आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं के फोटो सहित मय हस्ताक्षर एवं मकान मालिक के हस्ताक्षर करा कर प्रस्तुत किया है? हाँ / नहीं संलग्न दस्तावेजों का विवरण: (सभी संलग्न आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किये जाना आवश्यक है)

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) पूर्व राशन कार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण-पत्र। | हाँ / नहीं |
| 2) निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति। | हाँ / नहीं |
| 3) नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशन कार्ड से नाम कम कराने / शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति। | हाँ / नहीं |
| 4) बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम / नगरपालिका / पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र या बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति। | हाँ / नहीं |
| 5) डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटो प्रति / शपथ पत्र या कटा / फटा / विकृत राशन कार्ड। | हाँ / नहीं |
| 6) मूल राशन कार्ड। | हाँ / नहीं |
| 7) उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। | हाँ / नहीं |
| 8) नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र / तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति / परित्यक्ता का स्वप्रमाणित शपथ पत्र। | हाँ / नहीं |
| 9) नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटो प्रति। | हाँ / नहीं |
| 10) स्वप्रमाणित शपथ पत्र। | हाँ / नहीं |
| 11) नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र। | हाँ / नहीं |
| 12) अन्य: | हाँ / नहीं |

संलग्नकों की कुल पृष्ठ संख्या:

हस्ताक्षर लिपिक / कियोस्क धारी
कियोस्क की मोहर